प्रेस वज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक -20.08.2026

√भदोही पु लस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के दो षयों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को ₹5,000/- (पांच हजार रुपये) का अर्थदण्ड से कया गया दं डत

√जनपद पु लस अपरा धयों को सजा दिलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लए लगातार प्रतिबद्ध

थाना दुर्गागंज पु लस द्वारा जांच और मुखबिर की सूचना पर एक संगठित आपरा धक गैंग का खुलासा कया गया है। इस गैंग का लीडर सुरेश केशरवानी (उम्र 47 वर्ष) और स क्रय सदस्य कमलेश (उम्र 27 वर्ष) है, जो मूल रूप से जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं। यह गैंग आ र्थक और भौतिक लाभ के लए मारपीट, धोखाधड़ी तथा मादक पदार्थों (जैसे 28.03.2019 को बरामद 738 शीशी शराब और एक चार पहिया वाहन) की तस्करी में सं लप्त है, जिसके डर से आम जनता इनके खलाफ गवाही देने का साहस नहीं कर पाती। आरो पयों के इस भय और समाज वरोधी गति व धयों को देखते हुए, इनके वरुद्ध 'उत्तर प्रदेश गरोहबंद एवं समाज वरोधी क्रयाकलाप निवारण अ धनियम 1986' (गैंगस्टर एक्ट) की धारा 3(1) के तहत अ भयोग पंजीकृत कर ववेचना के उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रे षत कया गया था।

श्रीमान् पु लस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अ भनव त्यागी,* पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान और न्यायालयों में लंबित मुकदमों में *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में *"ऑपरेशन कन्विक्शन"* के तहत चन्हित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध मा0 न्यायालय से अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पु लस द्वारा वशेष अ भयान चलाया जा रहा है।

थाना दुर्गागंज पु लस , मानिटरिंग सेल और अ भयोजन पक्ष एडीजीसी श्री श्याम सूरत पाण्डेय की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप, श्री लोकेश कुमार मश्र अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (प्रथम) भदोही द्वारा उत्तर प्रदेश गरोहबंद एवं समाज वरोधी क्रयाकलाप निवारण अ धनियम की धारा 3(1) के तहत अ भयुक्त सुरेश केशरवानी पुत्र रामसजीवन, निवासी ग्राम तिलकट, थाना सरांयममरेज, प्रयागराज एवं अ भयुक्त कमलेश पुत्र श्यामधर, निवासी संसारीपुर, थाना सरांयममरेज, प्रयागराज दोनों को मा0 न्यायालय द्वारा तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दं डत

कया गया। साथ ही जुर्माना न भरने की स्थिति में दोनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।